न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 88/11

संस्थित दिनाँक-18.02.11

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मोहकम पुत्र अलबेलसिंह जाट उम्र 28 साल निवासी सिद्धेश्वर नगर मुरार गली नं01

.....अभियुक्त

__:: निर्णय ::— {आज दिनांक 09.03.2018 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337 दो काउण्ट, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.01.11 को 14:30 बजे ग्राम जैतपुरा के पास भिण्ड ग्वालियर रोड लोकमार्ग पर डंफर क्रमांक एम0पी0—30 जी0ए0—0687 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त रीति से उक्त वाहन को चलाकर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर रमेश व हरवीर को साधारण उपहित कारित की तथा रामप्रीत को स्वेच्छ्या गंभीर उपहित कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 21.01.2011 को दोपहर करीब 02:30 बजे फरियादी हरवीर सिंह मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0 30 बी0ए0 6383 से बैठकर मेहगांव से ग्वालियर जा रहा था। जैतपुरा के पास पहुंचा तभी पीछे से मेहगांव तरफ से एक इंफर कमांक एम0पी0 07 जी0ए0 0687 के चालक ने बड़ी तेजी और लापरवाही से चलाकर टक्कर मारदी जिससे उसे एवं मोटरसाईकिल पर बैठे रामप्रीत चोटें आई। इंफर चालक गोहद चौराहा तरफ भागा तो एक हीरो पुक कमांक एम0पी0 07 सी 8594 में भी टक्कर मारदी जिससे आहत रमेश को भी चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अपराध कमांक 7/11 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुशंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। नक्शामोंका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। वाहन जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक बनाया गया। वाहन की मिकेनिकल जांच करायी गयी। बाद अनुशंधान अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया। 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण किए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाए जाने का कथन किया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.01.11 को 14:30 बजे ग्राम जैतपुरा के पास भिण्ड ग्वालियर रोड लोकमार्ग पर डंफर कमांक एम0पी0—30 जी0ए0—0687 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2.क्या उक्त दिनांक, समय पर आहत रमेश, हरवीर तथा रामप्रीत को कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उनकी प्रकृति ?

3.क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उक्त रीति से चलाकर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर रमेश व हरवीर को साधारण उपहित कारित की तथा रामप्रीत को स्वेच्छ्या गंभीर उपहित कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में हरवीर अ०सा० 1, डा० आलोक शर्मा अ०सा० 2, डा० राकेश रायजादा अ०सा० 3, रामप्रीत अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- फरियादी हरवीर अ०सा० ०१ अपने अभिसाक्ष्य में घटना पांच साल पहले के बारह-साढ़े बारह बजे की होना बताते हुए कथन करते हैं कि अपने भाई रामप्रीत के साथ मेहगांव से ग्वालियर जा रहे थे। गोहद चौराहे और मेहगांव के बीच उनकी मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हो गया था। सामने से आती मोटरसाईकिल ने उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। वह बेहोश हो गया था इसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। रिपोर्ट घरवालों द्वारा डाली गयी या नहीं इसका भी कथन करने में असमर्थ है। प्रपी 01 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य बताता है किंत् कथन करता है कि जब उसे होश आया तब पुलिस वालों ने हस्ताक्षर करा लिए थे। आहत रामप्रीत अ०सा० ०४ अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे हरवीर के साथ मेहगांव से ग्वालियर बाईक क्रमांक एम०पी०। 30 बी0 ए0 6383 से जा रहे थे। हीरोपुक वाले ने उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। हीरोपुक कौन चला रहा था यह उन्हें नहीं मालूम, घटना काफी समय पहले की होने से वाहन चालक को पहचानने में भी असमर्थ होने का कथन करते हैं। टक्कर में उसे एवं हरवीर को चोटें आना बताते हैं। टक्कर के बाद स्वयं बेहोश हो जाने का कथन भी करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण के दोनों आहतगण अपने अभिसाक्ष्य में कथित डंफर क्रमांक एम०पी० ०७ जी०ए० ०६८७ के चालक के द्वारा दुर्घटना कारित किये जाने का कोई कथन नहीं करते है। उक्त दोनों ही साक्षी परस्पर भिन्न कथन करते हुए फरियादी हरवीर मोटरसाईकिल से एवं आहत रामप्रीत हीरोपुक से टक्कर होने का कथन कर रहे है। इस प्रकार से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है
- 7. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा फरियादी हरवीर असा0 01 एवं रामप्रीत असा0 4 को पक्षविरोधी घोषित कर उनसे सूचक प्रश्न पूछे गये जिनमें साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिकथित

डंफर कमांक एम0पी0 07 जी0ए0 0687 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन दुर्घटना कारित किये जाने के संबंध में इंकार किया गया है। साक्षीगण ने रिपोर्ट प्रपी 01, कथन प्रपी 03 एवं 08 में विनिर्दिष्ट भाग में उक्त डंफर के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से दुर्घटना कारित किये जाने के तथ्य लिखाये जाने से इंकार किया है। रिपोर्ट प्रपी 01 तथा पुलिस कथन कमशः प्रपी 03 व 08 सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायदृष्टान्त— रिव कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज—1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। इस प्रकार से कथित दुर्घटना में डंफर कमांक एम0पी0 07 जी0ए0 0687 की संलिप्तता के संबंध में किसी भी आहत ने कथन नहीं किया है।

- 8. प्रकरण में अन्य आहत रमेश बताया गया है जिसको कई बार आहूत किये जाने पर भी अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा और अदम पता घोषित कर दिया गया है। डाँ० आलोक शर्मा असा० 2 एवं डाँ० राकेश रायजादा असा० 3 की साक्ष्य आहतगण को उपहित मौजूद होने के संबंध में हैं। चूंकि उनकी साक्ष्य को अखण्डनीय माना भी जाए तो मात्र यह तथ्य प्रमाणित होगा कि आहतगण को अभिकथित घटना दिनांक 21.01.2011 को शारीरिक उपहित कारित थी किंतु कथित उपहितयां किस व्यक्ति के उपेक्षा अथवा उतावलेपन के फरस्वरूप कारित हुई इस संबंध में उनकी साक्ष्य सारवान नहीं रह जाती है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ कि कथित दिनांक 21.01.2011 को उसके द्वारा कथित डंफर का घटनास्थल पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की हो।
- 9. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 21.01.11 को 14:30 बजे ग्राम जैतपुरा के पास भिण्ड ग्वालियर रोड लोकमार्ग पर डंफर क्रमांक एम0पी0—30 जी0ए0—0687 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त रीति से उक्त वाहन को चलाकर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर रमेश व हरवीर को साधारण उपहित कारित की तथा रामप्रीत को स्वेच्छ्या गंभीर उपहित कारित की। अतः अभियुक्त संदेह के आधार पर दोषमुक्ति के पात्र हैं। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10. अभियुक्त की जमानत व मुचलके 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

11. प्रकरण में जप्त डंफर कमांक एम0पी0 07 जी0ए0 0687 सुपुर्दगी पर है अतः अपील अवधि पश्चात् सुर्पुदगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM STATES S

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्वेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश